राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर, झुंझुनूं जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्री सुप्रिया आर.ए.एस.)

निर्णय दिनांक : 05.05.2025

मुकदमा नं. :– 508 / 2024

रोहिताश कुमार स्वामी पुत्र महावीर स्वामी निवासी गुढागौडजी तहसील गुढागौडजी जिला झुंझुनूं।

वादी

बनाम

1. बनवारी पुत्र मुखा स्वामी
2. मंगला पुत्र सुरेश
3. श्यामा पुत्र सुरेश
4. शांति पत्नी सुरेश
5. सुनिता पत्नी सुनिल
6. सांवता पुत्र झण्डुदास (फौत)
   6/1. महेन्द्र पुत्र सांवता
   6/2. राजेश पुत्र सांवता
   6/3. रामू पुत्र सांवता
   6/4. अशोक पुत्र सांवता
   6/5. अनिल पुत्र सांवता
7. हणमान पुत्र झण्डुदास
8. नरेश पुत्र सीतराम (फौत)
   8/1. प्रियंका पत्नी नरेश
   8/2. नैतिक पुत्र नरेश
   8/3. गुंजन पुत्री नरेश
   8/4. बाबू पुत्र नरेश
9. महावीर पुत्र झण्डुदास (फौत)
   9/1. दुर्गा देवी पत्नि महावीर
   9/2. हरमोती पुत्री महावीर
   9/3. हरिराम पुत्र महावीर
   9/4. जगदीश पुत्र महावीर
   9/5. शंकरलाल पुत्र महावीर
   9/6. रोहिताश पुत्र महावीर
   9/7. मुकेश पुत्र महावीर
   9/8. संजू पुत्री महावीर
   9/9. मंजू पुत्री महावीर

समस्त जातिगण स्वामी समस्त निवासीगण गुढागौडजी तहसील गुढागौडजी जिला झुंझुनूं।

10. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार गुढागौडजी।

प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

दावा बाबत् विभाजन

–: निर्णय :–

संक्षेप में वादी की ओर से वाद निम्नानुसार हैः–

यह कि वाके ग्राम गुढागौडजी पटवार हल्का व तहसील गुढागौड़जी की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 713 पुराना खाता संख्या 634 खसरा नम्बर 67 रकबा 0.44 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.44 है0 भूमि अवस्थित है जिसे आगे विभाजन योग्य भूमि कहा गया है। उक्त वर्णित भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार है, जिसमें वादी का हिस्सा 83/220 है। वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर कब्जा काश्त है जिस पर वादी अपने हिस्से पर स्वामी व मालिक के रूप में काबिज कब्जा काश्त के रूप में काबिज है। वादी ने प्रतिवादीगण को विधिवत् विभाजन व राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत् विभाजन करवाने के लिए निवेदन किया तो पहले तो प्रतिवादीगण ने वादी से कहा कि पांच सात रोज तहसील में चल कर विधिवत् बंटवारा कर लेंगे लेकिन वादीगण ने दस पन्द्रह दिन पश्चात् 25.08.2024 को पुनः प्रतिवादीगण से निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने विधिवत् बंटवारा करवाने से साफ साफ इन्कार कर दिया तथा वादी को बोले कि हमारे पास समय नहीं है। हमें आपके बंटवारे से कोई लेना देना नहीं है तथा आपसी सहमति से बंटवारा करवाने से साफ साफ इंकार हो गये अतः उक्त विभाजन योग्य भूमि का विधिवत विभाजन करने हेतु वाद कारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 27.03.2025 को वाद वादी प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/25/1345 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा इस न्यायालय में भिजवाये गये। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को बहस पत्रावली पर सुना गया। अधिवक्ता ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की। बाद अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस वाद वादी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: निर्णय :–

वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम गुढागौडजी पटवार हल्का व तहसील गुढागौड़जी की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 713 पुराना खाता संख्या 634 खसरा नम्बर 67 रकबा 0.44 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.44 है0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0/25/1345 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर, झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुप्रिया आर.ए.एस.

उनवान

रोहिताश बनाम बनवारी

मुकदमा नं. : 508 / 2024 निर्णय दिनांक : 05.05.2025

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेर मीणा की उपस्थिति में इस वाद मे आज दिनांक 05.05.2025 को सुप्रिया, सहायक कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम गुढागौडजी पटवार हल्का व तहसील गुढागौड़जी की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 713 पुराना खाता संख्या 634 खसरा नम्बर 67 रकबा 0.44 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.44 है0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0 / 25 / 1345 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर, झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	2	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
योग	4	योग	

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर, झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं